राजस्थान सरकार

सांख्यिकी विभाग

राजीव गाँधी युवा मित्र
इंटर्नशिप प्रोग्राम (RYMP)

राजीव गाँधी युवा मित्र इन्टर्नशिप कार्यक्रम

संशोधित गाइडलाइन—2023—24

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

योजना भवन, जयपुर

राजीव गाँधी युवा मित्र इन्टर्नशिप प्रोग्राम

1. राजीव गाँधी युवा मित्र इन्टर्नशिप प्रोग्राम (RYMP) का संक्षिप्त परिचय–

यह राज्य के कर्मठ और होनहार युवाओं के लिए एक ऐसा इन्टर्नशिप प्रोग्राम है जिसके माध्यम से युवाओं को वास्तविक सरकारी काम–काज और आमजन के बीच सामंजस्य सिखाने, लोगों की वास्तविक समस्याओं से रूबरू होकर उन्हें सुलझाने के लिए सरकार तक सेतु का कार्य करने और एक संवेदनशील व पारदर्शी सरकार की समस्त जनकल्याण की योजनाओं के लाभ आम लाभार्थी तक पहुँचाने के लिए विशेषतः क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके तहत राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बजट घोषणा 2021–22 की पालना में पहले से 2100 से अधिक इन्टर्न्स कार्य कर रहे हैं।

इस प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार राजीव गाँधी युवा कोर (RYC) का गठन किया गया था–

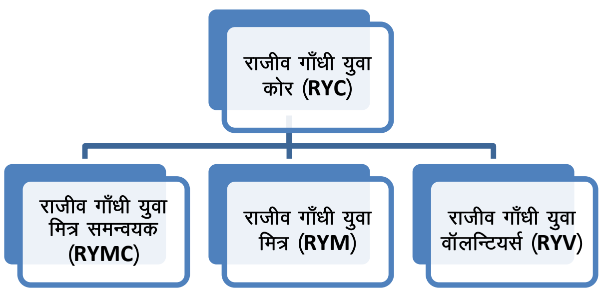

वर्तमान में राज्य स्तर पर कार्यरत मॉनिटरिंग टीम के अतिरिक्त सभी जिला, ब्लॉक तथा शहरी निकायों में इन्टर्न्स कार्य कर रहे हैं तथा राजीव गाँधी युवा कोर के तृतीय घटक राजीव गाँधी युवा वॉलैन्टियर्स (RYV) बनाये जा चुके हैं जो कि प्रशिक्षण उपरांत अपने–अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

2. बजट घोषणा 2023–24 के अनुसार राजीव गाँधी युवा मित्र कार्यक्रम का नवीन विन्यास–

- बजट घोषणा 2023–24 में माननीय मुख्यमंत्री ने कुल इन्टर्न्स की संख्या 2500 से बढाकर 5000 कर दी है।
- इसकी पालना में निम्नानुसार कार्यक्रम का नवीन विन्यास किया जाना है–

- अतिरिक्त 2500 राजीव गाँधी युवा मित्रों का चयन तथा वर्तमान में रिक्त चल रहे कतिपय क्षेत्रों में भी इन्टर्न्स का चयन किया जाना है।
- इन्टर्न्स का चयन जिला/ब्लॉकवार (ग्रामीण/शहरी) क्षेत्रों के लिये जनसंख्या और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
- प्रत्येक इन्टर्न को ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुसार 3 से 4 ग्राम पंचायतें आवंटित किया जाना है।
- शहरी निकायों में प्रत्येक इन्टर्न को जनसंख्या के अनुसार ब्लॉक स्तरीय निकायों पर 10 से 12 वार्ड तथा जिला स्तरीय निकायों में 7 से 10 वार्डों में आवंटित किया जाना है।

3. योग्यताः–

राजीव गाँधी युवा मित्र के चयन की यद्यपि समस्त शर्तें पूर्वानुसार ही होंगी परन्तु नवीन चयन हेतु आवेदकों के लिये इन्हें यहाँ पुनः वर्णित किया जा रहा है।

- **आयुः–**
  - आवेदन के समय RYM की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।
  - **आयु की गणना 01.04.2023** के आधार पर की जायेगी।
- **शैक्षणिक योग्यता :–**

  RYM की **01.04.2023** को शैक्षणिक योग्यता **न्यूनतम सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा** उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- **अनिवार्यता :–**

  आवेदक के पास स्वयं का लेपटाप व दुपहिया वाहन होना अनिवार्य है।
- **वरीयता–**
  - ऐसे आवेदक जिन्हें सोशल मीडिया के लिए विषयवस्तु (Content) तैयार करने और उससे सम्बन्धित विश्लेषण कर उसका वांछित प्रस्तुतिकरण करने का अनुभव होगा, उन्हें चयन में वरीयता दी जाएगी।
  - समाज सेवा, सामाजिक कार्य और गैर–सरकारी संगठनों, स्काउटिंग, एन एस एस और एन सी सी जैसे संगठनों में प्रतिभागी रहे अनुभवी आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

- RYMP के लिए विशेषतः तैयार किए गए वेबसाइट, पोर्टल और मोबाइल एप के साथ प्रशिक्षणोपरान्त सरलता से कार्य कर सकने वाले आवेदकों को ही इन्टर्नशिप हेतु योग्य माना जायेगा।

- **अयोग्यता–**
  जो आवेदक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा संचालित किसी भी इन्टर्नशिप कार्यक्रम यथा राजीव गाँधी युवा मित्र कार्यक्रम, यंग इन्टर्न्स कार्यक्रम इत्यादि के तहत पूर्व में इन्टर्नशिप कर चुके हैं, वे आवेदक इस कार्यक्रम के लिए अपात्र होंगे।

4. इन्टर्नशिप की अवधिः–

- RYMs की इन्टर्नशिप की प्रारम्भिक अवधि 6 माह की रहेगी तथा कार्य संपादन एवं मूल्यांकन के आधार पर 3–3 माह के लिये अधिकतम दो वर्ष तक की अभिवृद्धि की जा सकेगी।
- इन्टर्नशिप में अभिवृद्धि करने का पूर्ण अधिकार, निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का होगा।
- इन्टर्न्स द्वारा अनुशासनहीनता, कार्य नहीं करने एवं अन्य कारणों से इन्टर्नशिप समाप्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी का होगा।

5. चयन की प्रक्रिया–

5.1 चयन समिति–

- RYM का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

5.2 चयन प्रक्रिया–

- कार्यक्रम के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे।
- राजीव गाँधी युवा मित्र (RYM) का चयन तीन चरणों में किया जाएगा।
  - पहले चरण में ऑनलाईन माध्यम से ब्लॉकवार/शहरी निकाय वार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
  - द्वितीय चरण में आवेदकों के दस्तावेजों की जाँच की जाएगी तथा दस्तावेज सही पाये जाने पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
  - तृतीय चरण में साक्षात्कार में सफल आवेदकों को क्षेत्र आवंटन कर आवंटित क्षेत्र में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

- ➢ चयन में समस्त सामाजिक श्रेणियों/वर्गों यथा SC, ST, OBC, SBC इत्यादि के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाएगा।
- ➢ आवंटित क्षेत्र में उपस्थिति देते समय सभी इन्टर्न्स को **पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
- ➢ विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई **Undertaking मय हस्ताक्षर प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।**
- ➢ किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर चयन के लिए अपात्र होगा।
- ➢ यदि कोई आवेदक जानबूझ कर किसी भी तरह की असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5.3 आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण–

- चयन उपरान्त एक दिवसीय जिला स्तरीय आमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसमें उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।
- तत्पश्चात् क्षेत्र आवंटन किया जाएगा।
- सभी चयनित इन्टर्न्स को पी.एम.यू. के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6. RYM के कार्य–

- Field के आवंटित समस्त कार्य RYM द्वारा संपादित किये जायेंगे। जिला एवं ब्लॉक स्तर से आवंटित समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व RYM का होगा।
- प्रत्येक इन्टर्न के सप्ताह में 6 कार्य दिवस रहेंगे, जिसमें 5 दिवस में फील्ड विजिट व संवाद से संबंधित कार्य एवं 1 दिवस कॉल सेन्टर/हेल्प डेस्क का कार्य करना होगा।
- RYM को राज्य स्तर से प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप चार प्रकार के संवाद यथा परिवार–संवाद, जन–संवाद, संस्थागत–संवाद तथा जन–विशेष संवाद करने होंगे।
- RYM आमजनों से सभी प्रकार के संवादों के साथ–साथ राज्य स्तर से दिए जाने वाले सभी Tasks पूरे करने होंगे।
- इन्टर्न द्वारा प्रदेश के निवासियों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने से पूर्व स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल से टेलीकॉलिंग के माध्यम से सम्पर्क करना होगा।
- प्रत्येक इन्टर्न द्वारा 3 स्तर पर यथा ब्लॉक/शहरी निकाय पर स्थापित कॉल सेन्टर/हेल्प डेस्क के माध्यम से जन–सम्पर्क (टेली–कॉलिंग), सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागृति एवं क्षेत्र भ्रमण संबंधित कार्य करने होंगे।

- RYM के लिये विशेषतः तैयार किये हुए वेबसाइट, पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ कार्य करना और विश्लेषण कर रिपोर्ट्स तैयार करनी होंगी।
- RYM द्वारा वास्तव में हल की गयी समस्याओं/विषयों/मुद्दों के टेस्टीमॉनियल्स, सफलता की कहानियों के रूप में केटलॉग तैयार किया जायेगा तथा इसे अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिये प्रचारित किया जायेगा।
- RYM द्वारा आमजनों एवं लाभार्थियों की समस्याओं एवं मुद्दों का समाधान कर उनके दृश्य–श्रव्य प्रमाण (Audio–Visual Evidence) प्राप्त कर RYMP Portal पर अपलोड करने होंगे।
- RYM समय–समय पर Reality Check के लिए Ground Truthing की गतिविधियाँ भी क्रियान्वित करेंगे ताकि विभिन्न योजनाओं की सफलता का वास्तविक आंकलन सम्भव हो सकेगा।
- RYM द्वारा आमजन से संपर्क के दौरान यदि परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति या कमी यथा नाम, जन्म दिनांक, पता, गलत मोबाइल नं. इत्यादि के कारण लाभ से वंचित है, तो RYM ऐसे दस्तावेजों में संशोधन की प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ उनका सहयोग करेगा।
- प्रत्येक RYM को आवंटित गाँव/वार्डों को कवर करते हुए 20 वॉलेन्टियर्स का एक वॉट्सअप ग्रुप बनायेगा। प्रत्येक वॉलेन्टियर अपने गाँव व आस पडोस के 200 लोगों को जोडकर एक वॉट्सअप ग्रुप बनायेगा, जिसमें निरंतर सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करेगा।
- RYM, RYV के साथ भी समन्वय कर निवासियों के Issues को सम्बन्धित विभागों तक पहुँचाएंगे।
- RYM तथा RYV उनको आवंटित क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेगा साथ ही सरकार की जन कल्याण से जुडी योजनाओं के विपरित कार्य नही करेगा और ना ही नकारात्मक भ्रांतियों को फैलने में किसी प्रकार का बढावा देगा।
- RYM तथा RYV को किसी भी विषय के बारे में शंका या सन्देह का समाधान आपस में ना करके ब्लॉक/जिला अधिकारियों से सम्पर्क कर करना होगा।

7. प्रशिक्षण व मानदेय–

7.1 जिला स्तरीय आमुखीकरण–

- RYM द्वारा किये जाने वाले चारों प्रकार के संवादों व उनसे संबंधित रिपोर्टिंग का परिचय।

- सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं विशेषतः फ्लैगशिप योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी।
- मोबाइल ऐप तथा डैशबोर्ड पर कार्य करने की जानकारी देना।
- सोशल मीडिया (Whatsapp, Facebook, Instagram & Twitter Etc.) Responses की जानकारी देना।

7.2 मानदेय–

RYM को इन्टर्नशिप हेतु प्रत्येक माह कुल 17,500 रूपये (15,000 रूपये स्टाईपेन्ड तथा लैपटॉप व मोबाइल के उपयोग व फील्ड विजिट के लिये 2,500 रूपये) का भुगतान किया जायेगा।

7.3 उपस्थिति एवं अवकाश–

- प्रत्येक इन्टर्न को अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थिति की जानकारी किसी भी माध्यम से (व्यक्तिगत उपस्थिति, मोबाइल कॉल, ऐप, मैसेज इत्यादि) संबंधित जिला/ब्लॉक अधिकारी को दैनिक रूप से देनी होगी।
- प्रत्येक इन्टर्न को उसके द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों की दैनिक डायरी संधारित करनी होगी।
- प्रत्येक इन्टर्न को माह में एक सवैतनिक अवकाश देय होगा जिसे संचयी रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा।
- प्रत्येक इन्टर्न का 6 दिन के (सोमवार से शनिवार तक) कार्य दिवस होंगे तथा रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति होगी।

8. कार्यक्रम की मॉनिटरिंग

8.1 मोबाइल ऐप तथा वेब पोर्टल–

- कार्यक्रम की मॉनिटरिंग मोबाईल ऐप तथा पोर्टल/डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है।
- समस्त RYMP कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए विभाग द्वारा वेबपोर्टल पर आधारित एप्लीकेशन का डैवलपमैंट करवाया जा रहा है।
- ऐप में निजी नेटवर्क, ग्रुप इवेन्ट्स, फील्डवर्क, योजनाएं, प्रशिक्षण वीडियो, कैंपेन अपडेट्स, सफलता की कहानियां एवं विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स प्राप्त करने एवं पुरस्कार से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित की गई है।

8.2 जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंगः—

RYM द्वारा संपादित कार्यों की समय—समय पर Reality Check एवं Ground Truthing का कार्य संबंधित ब्लॉक/जिला अधिकारियों द्वारा लक्ष्य आधारित किया जायेगा।

8.3 राज्य स्तर से मॉनिटरिंगः—

- राजीव गाँधी युवा मित्रों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों की समय—समय पर Reality Check एवं Ground Truthing का कार्य राज्य स्तर से नियुक्त संभाग/जिला/सहायक जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा लक्ष्य आधारित किया जायेगा।
- ऑनलाइन प्रतिवेदनों के माध्यम से मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाले इन्टर्न्स को उचित समय और मंचों पर पुरस्कृत करने की योजना भी तैयार की जाएगी।

8.4 राज्य/जिला स्तर से सोशल मीडिया कार्यों की मॉनिटरिंग—

राजीव गाँधी युवा मित्रों द्वारा संपादित समस्त क्षेत्र/सोशल मीडिया संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग जिला स्तर एवं राज्य स्तर से किये जाने हेतु राजीव गाँधी युवा मित्रों में से ही टीम का गठन कर किया जा रहा है।

9. अनुशासनात्मक कार्यवाही—

- इन्टर्न द्वारा आवंटित लक्ष्य अनुरूप कार्य संपादित नही करने पर ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर से नोटिस देने के पश्चात भी यदि इन्टर्न द्वारा कार्य में सुधार नही किया जाता है तो इन्टर्नशिप तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
- इन्टर्न द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति के निरन्तर 14 दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने पर इन्टर्नशिप स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
- इन्टर्न द्वारा शपथ पत्र में अंकित शर्तों की पालना नही करने पर इन्टर्नशिप समाप्त कर दी जाएगी।

10. प्रमाण—पत्र—

- सफलतापूर्वक इन्टर्नशिप पूर्ण करने पर इन्टर्न्स को प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाते हैं, जिन्हें इन्टर्न्स द्वारा आवश्यकता होने पर अपने करियर की प्रगति हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

- अनुशासनात्मक कारणों से अथवा इन्टर्नशिप से लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण से इन्टर्न्स की इन्टर्नशिप समाप्त करने पर प्रमाण पत्र नही दिया जाएगा।
- किसी कारणवश यदि इन्टर्नशिप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय से पूर्व समाप्त की जाती है अथवा इन्टर्न द्वारा इन्टर्नशिप से त्याग–पत्र दिया जाता है तो इन्टर्न को किये गये कार्य अवधि का ही प्रमाण–पत्र देय होगा।

****